# हाईवे किनारे सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए नीति

- सड़क परिवहन मंत्री गडकरी ने लांच की हमसफर नीति
- कहा, अध्ययन और विचार-विमर्श के बाद इसे किया जा रहा लागू

**जागरण ब्यूरो ● नई दिल्ली :** हाईवे नेटवर्क के आसपास साफ-स्वच्छ टायलेट, व्हीलचेयर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप, रेस्तरां और पार्किंग जैसी सुविधाओं की राह सुगम करते हुए केंद्र सरकार ने हमसफर नीति का एलान किया है। इससे सड़क यात्रा की तस्वीर बदल सकती है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नीति लांच करते हुए अफसरों पर व्यंग्य किया कि पढ़े-लिखे लोगों (अधिकारियों और विशेषज्ञों) के तमाम अध्ययन और विचार-विमर्श के बाद चार साल की देरी से आखिरकार यह नीति लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की अनुभूति कराना है।

हमसफर नीति में साइड एमेनिटीज शामिल हैं, जिन्हें हाईवे नेटवर्क में हर 40-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना है। ऐसी एक हजार वे साइड एमेनिटीज प्रस्तावित हैं। नेटवर्क के आसपास पहले से मौजूद ढाबों, रेस्तरां, पेट्रोल पंप आदि को भी नई नीति के दायरे में लाया गया है। इनकी जानकारी राजमार्ग यात्रा प्लेटफार्म पर उपलब्ध होगी। निजी एजेंसियों द्वारा रेटिंग भी की जाएगी, ताकि सुविधाओं के स्तर से लोग परिचित हो सकें।

नई नीति ये सेवाएं उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों-केंद्रों को हाईवे पर अपने साइन बोर्ड लगाने की भी इजाजत देगी। गडकरी ने कहा कि उच्च स्तरीय सड़क सेवा के लिए इन सुविधाओं को विकसित करना हमारा दायित्व है, लेकिन सरकार इसे पूरा करने में असफल रही है। उन्होंने मौजूदा पेट्रोल पंपों को भी चेताया कि वे अपने टायलेट के दरवाजे लोगों के लिए खोल दें अन्यथा उनकी एनओसी रद कर दी जाएगी। नई नीति में बेबी केयर रूम भी शामिल हैं, जिनका गडकरी ने महिलाओं को होने वाली असुविधा के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेख किया।

नई नीति उद्यमियों को भी सशक्त बनाएगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगी। गडकरी ने उम्मीद जताई कि हमसफर ब्रांड सुरक्षित और सुगम सफर का पर्यायवाची बन जाएगा। इस नीति का एक अहम उद्देश्य हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे सुविधाओं का मानक ढांचा उपलब्ध कराना है यानी बेहतर फूड प्वाइंट या शौचालय केवल बड़े शहरों की सीमा पर ही नहीं होंगे, बल्कि कस्बों और गांवों के आसपास हाईवे के हिस्सों पर भी होंगे।

मंत्रालय ने सेवाओं की निगरानी की भी व्यवस्था की है। गडकरी ने एनएचएआइ जैसी एजेंसियों को इस पर ध्यान देने के लिए कहा है। सेवाएं प्रदान करने वालों को अपने यहां एंट्री-एक्जिट की जगह, सर्विस लेन और साइनेज उपलब्ध कराने होंगे। उनके लाइसेंस का हर दो साल में नवीनीकरण होगा। दस किलोमीटर के दायरे में केवल एक को ही लाइसेंस दिया जाएगा। नियमित थ्री प्लस रेटिंग पर सर्विस प्रोवाइडरों को शुल्क में छूट भी दी जाएगी।

### चार सेवाओं पर ध्यान

1- खाने-पीने के स्थान (रेस्तरां, फूड कोर्ट, ढाबा)
2- खाने-पीने की जगहें और फ्यूल स्टेशन व चार्जिंग स्टेशन
3- केवल फ्यूल स्टेशन (टायलेट, बेबी केयर रूम सहित)
4- ट्रामा सेंटर (टायलेट, बेबी केयर रूम सहित)

***